यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
ीठासीन अधिकारी – जोगेन्द सिंह आर.ए.एस.
ुकदमा नम्बर 62/2022 राजस्व वाद

01 नारायण पुत्र श्री डालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
02 कैलाश पुत्र श्री डालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03 भवर पुत्र डालु जाती रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. उदयलाल पुत्र डालु जाती रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) — वादीगण

बनाम

01. गोपी पुत्र श्री लालू जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. धन्नी पुत्री श्री लालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नन्दा पुत्र श्री माना जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. नन्दा दत्तक पुत्र श्री गणेश जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रताप पुत्र श्री लालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. बदामी पत्नी श्री प्यारा जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. मगना पुत्र श्री लालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. मदन लाल पुत्र श्री प्यारा जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. रामा पुत्र श्री माना जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. संतोष पुत्री श्री लालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. सोहन पुत्र श्री लालु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. श्रीमान् तहसीलदार साहब, राजस्थान सरकार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
इन्द्राज दुरुस्ती बावत्

स्थित :–
ुकेश सिह तंवर —अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय– ——प्रतिवादी संख्या 01 से 11
रोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 12

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

दिनांक [illegible]

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद
न्तर्गत धारा 88, 89 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया
के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के परिवार का पारिवारिक शजरा वादपत्र की चरण
संख्या 01 मे वर्णित है। उपरोक्त शजरे अनुसार वादीगण / प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के मूल
[illegible] गोमा थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके तीन पुत्र है लालू, माना, गणेश हुए, जिनकी
मृत्यु हो चुकी है। लालू के विधिक वारिसान प्रताप, गोपी, भगवान, [illegible], सतीश, सोहन, [illegible]
तथा माना के विधिक वारिसान डालू, नन्दा रामा है तथा गणेश लावल्द फौत हुआ है,
उसकी पारिवारी शजरे के अनुसार नन्दा को गोदपुत्र बताया गया है। डालू की मृत्यु हो चुकी है,
उसके विधिक वारिसान नारायण, कैलाश, भंवर, [illegible] है तथा नन्दा जो कि गणेश का
दपुत्र बताया गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान [illegible], मदन, श्याम है।
लू व नन्दा का नामान्तरणकरण खुलना शेष है। इस कारण से डालू व नन्दा के विधिक
रिसान को पक्षकार बनाया गया है। वादी और प्रतिवादीगण के खाते मे ग्राम गरवाय पटवार
ल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 81
राजी नम्बर 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 731, 724, 755, 756, 757, 758, 759,
60, 761, 762 कुल किता 18 रकबा 3.7306 हैक्टयर एवं ग्राम गोरधपुरा पटवार हल्का
रधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 89 आराजी
ख्या 1093 / 518 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमे उक्त पारिवारिक
जरे के अनुसार माना के नामान्तरण मे नन्दा को गणेश के यहां गोदपुत्र बताया गया व नन्दा
पने गोदपुत्र पिता की खातेदारी अनुसार कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ
हा है। जबकि नन्दा द्वारा गणेश के गोद चले जाने के पश्चात अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति
से अपना हिस्सा स्वतः ही शून्य हो जाता है। प्रतिवादीगण नन्दा द्वारा गणेश के गोद चले
ने के पश्चात अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति मे से अपना हिस्सा स्वतः ही शून्य हो जाता
। प्रतिवादीगण नन्दा द्वारा गणेश के गोद चले जाने के पश्चात अपने प्राकृतिक पिता की माना
खातेदारी कृषि आराजियात मे नाम दर्ज होकर कृषि काश्त कर रहा है तथा उसका उपयोग
भोग कर रहा है, जो कि गलत है। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गोद गया
ा पुत्र अपने प्राकृति पिता की सम्पति का उपयोग उपभोग नही कर सकता है व उसका हक
स्सा स्वतः ही शून्य व निष्प्रभावी हो जाता है। वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित शजरे के
नुसार पूर्व मे जो नामान्तरण मे नन्दा का नाम माना की खातेदारी कृषि आराजियात मे बिना
तिक सत्यापन किये हुए दर्ज किया गया जो कि गलत है जिसको वादीगण पुनः निरस्त कराने
अधिकारी है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व
तिवादी संख्या 01 लगायत 11 के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। जो
मिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। जिसे शामिल
ावली की गई।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए
दग्रस्त भूमि नन्दा के गणेश के यहां गोद चले जाने से उनका कोई हक अधिकार नही रहा है।
द जाने के बाद प्राकृतिक पिता की सम्पति मे कोई हक अधिकार नही रहता है। नन्दा का
ने प्राकृतिक पिता की सम्पति मे से नाम हटाया जाकर दुरूस्त कराया जाने का निवेदन
या गया। दस्तावेजात का अवलोकन करने से नन्दा का अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति से
म हटाकर इन्द्राज दुरूस्त कराया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र
ीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर ग्राम गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसी
रेड़ा जिला भीलवाड़ा के संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 81 आराजी नम्बर 713, 7
5, 716, 717, 718, 719, 720, 731, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762

केता 18 रकबा 3.7306 हैक्टयर एवं ग्राम गोरधुपरा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 89 आराजी संख्या 1093/513 कुल केता 01 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे नन्दा पुत्र माना रेगर का नाम विलोपित कर नन्दा पुत्र नाना गर के हक हिस्से का 1/2 वादीगण के नाम एवं 1/2 हक हिस्से के प्रतिवादी संख्या 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार इन्द्राज दुरस्ती की जावे इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। क्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़